'एमेजॉन डायग्नोस्टिक' की ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट सुविधा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती

अदालत ने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी और नई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से 20 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । एमेजॉन इंडिया की ईकाई ''एमेजॉन डायग्नोस्टिक'' द्वारा ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट बुक करके देशभर में घर-घर जाकर सैंपल इकट्ठा करने जो सुविधा शुरू की गई है, उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानीय डॉक्टर रोहित जैन ने याचिका दायर करके इसे नियम विरूद्ध बताते हुए चुनौती दी गई है। जिस पर न्यायाशीध अमित शर्मा ने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डीजी, और नई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि, जो संस्था मेडिकल लैब नहीं है, आखिर वह देशभर में 450 पिनकोड पर ऑनलाइन माध्यम से मेडिकल जांच कैसे करवा रही है?

याचिकाकर्ता डॉ. रोहित जैन का कहना है कि, अमेजॉन डायग्नोस्टिक ने 22 जून 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैगलोर, जयपुर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में 450 पिनकोड एरिया में यह सुविधा शुरू की थी। अमेजॉन डायग्नोस्टिक के मुताबिक, उन्होंने ऑरेंज हैल्थ लैब से जुड़कर यह चिकित्सकीय जांच की सुविधा शुरू की है। यह लैब नोएडा की बताई जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक देव सुधी का कहना है कि, ''अमेजॉन डायग्नोस्टिक'' एक गैरपंजीकृत ऑनलाइन हैल्थ सर्विस चला रहा है, जो कि जांच केन्द्र नहीं है। याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई को अमेजॉन के मोबाइल एप से अपने दिल्ली स्थित रिश्तेदार के लिए मेडिकल टेस्ट बुक किया, जिसके लिए 350 रुपये वसूल किए गए। इस दौरान बताया गया कि, यह टेस्ट आर्केड हैल्थकेयर प्रा. लि., जो कि ऑरेंज हैल्थ लैब की संचालक कंपनी है, द्वारा कराया जाएगा।

- **दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि ''जो संस्था मेडिकल लैब नहीं है, आखिर वह देशभर के 450 पिनकोड पर ऑनलाइन माध्यम से मेडिकल जांच कैसे करवा रही है?''**
- **याचिकाकर्ता डॉ. रोहित जैन का कहना है कि, अमेजॉन डायग्नोस्टिक ने 22 जून 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैगलोर, जयपुर, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में यह सुविधा शुरू की थी। अमेजॉन डायग्नोस्टिक के मुताबिक, नोएडा की ऑरेंज हैल्थ लैब से जुड़कर यह चिकित्सकीय जांचें की जा रही है।**
- **डॉ. जैन का कहना है कि, ''अमेजॉन डायग्नोस्टिक और अमेजॉन-पे'' एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसे में यह हैल्थ सर्विस एग्रीगेटर की तरह काम कैसे कर रही है, जबकि दोनों ही मेडिकल लैब नहीं है और जांच रिपोर्ट्स पर किसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स के हस्ताक्षर भी नहीं है।''**

याचिकाकर्ता का कहना है कि, दिल्ली में टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाने के बाद जो जांच रिपोर्ट दी गई, उसमें मेडिकल लैब के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं था कि, लैब में किस डॉक्टर अथवा जांच अधिकारी ने यह रिपोर्ट सत्यापित की है। जो कि कानूनी तौर पर अनिवार्य है। डॉ. जैन का कहना है कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेरे द्वारा दायर याचिका पर वर्ष 2020 तथा 2023 को यह आदेश दिए थे कि, दिल्ली और केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऑनलाइन फर्जी मेडिकल टेस्ट करने वाली संस्थाओं पर रोक लगायी जाए और आईसीएमआर प्रमाणित लैब ही मरीजों की मेडिकल जांच करे, जहां पर एक प्रमाणित और शैक्षणिक डॉक्टर उपलब्ध हो।

याचिकाकर्ता कहना है कि, अमेजॉन-पे द्वारा इस आदेश का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि वह ऑनलाइन मेडिकल टेस्ट के लिए लोगों से भुगतान ले रही है। जैसे कि किसी सरकारी विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय अथवा आईसीएमआर ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया हो। उन्होंने कहा कि, अमेजॉन-पे बाजार में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जबकि यह एक मेडिकल टेस्ट लैब की तरह काम करने का दावा कर रहा है। जबकि वह मरीजों द्वारा किए गए भुगतान के इस विवरणों का रिकॉर्ड भी रख सकता है, जो कि लोगों की निजता भंग करने वाला है। ऐसे में संभावना है कि मरीजों का यह डेटाबेस अन्य किसी निजी अस्पतालों अथवा मेडिकल संस्थाओं को भी साझा किया जा सकता है।

डॉ. रोहित जैन का कहना है कि, इस मेडिकल टेस्ट के बारे में उन्होंने केन्द्र सरकार को भी शिकायत भेजी थी, परंतु स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी ओर जब मैने अपनी शिकायत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. दायर की तो सरकार की ओर से बताया गया कि, ''स्वास्थ्य'' राज्य की सूची का विषय है, इसके लिए राज्य सरकारों को ''अमेजॉन डायग्नोस्टिक और अमेजॉन-पे'' के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि, इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्थाएं एक हैल्थ सर्विस एग्रीगेटर की तरह काम कर रही है, जबकि दोनों ही मेडिकल लैब नहीं है। यहां तक कि जीएसटी चोरी की भी संभावना है।

तमाम तथ्यों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमित शर्मा ने इस प्रकरण को गंभीर बताया और उन्होंने याचिका स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डीजी, और नई दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 20 जनवरी 2026 तक जवाब मांगा है।

अनिस्तारित संपत्तियों को लेकर जल्द नीति लाएगा हाऊसिंग बोर्ड

अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जल्द गठित होगी प्रवर्तन शाखा

राजस्थान आवासन मंडल की 253 वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को प्रमुख शासन सचिव एवं मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

जयपुर (कासं)। राजस्थान आवासन मंडल मुख्यालय में शुक्रवार को मंडल की 253 वीं बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में अहम फैसलों का अनुमोदन हुआ।

मंडल अध्यक्ष ने बुधवार नीलामी व प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को आमजन का भरोसा बताया। पृष्टी ने बताया कि मण्डल द्वारा नवम्बर माह में किये गये ऑक्शन से अलवर, जोधपुर और जयपुर में कुल 81 सम्पत्तियों से लगभग 317 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने मिशन मोड में भूमि चिन्हांकन कर नई आवासीय योजनाएं शुरू करने और ड्रोन सर्वे के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही उन्होंने आरएफएसडीएल के माध्यम से मण्डल की कई वर्षों से शेष संपत्तियों की स्टडी करवाकर उनके समयबद्ध निस्तारण की पालिसी लाने के निर्देश भी दिये ।

- **राजस्थान आवासन मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में हुए अहम फैसले**

बैठक में बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर एवं शासन सचिव, बजट राजन विशाल की उपस्थिति में विभिन्न आवासीय योजनाओं के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मण्डल अपनी सम्पत्तियों की रक्षा एवं अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करने जा रहा है। जिसके प्रस्ताव का अनुमोदन मण्डल अध्यक्ष द्वारा बोर्ड बैठक में किया गया। इसके पश्चात् प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। प्रवर्तन शाखा में विभिन्न पदों पर कुल 51 पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होंगे। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने निर्णयों की त्वरित क्रियान्विति व लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने मण्डल की सम्पत्तियों का सीमाकंन कर साइनेज, फेंसिंग तथा आवश्यकतानुसार चारदीवारी करवा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में मण्डल के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर राजन विशाल, मण्डल सचिव गोपाल सिंह, उप सचिव डॉ. अशोक कुमार, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टीएस मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार केसी कुमावत सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर एयरपोर्ट के तीन टर्मिनल भूमिगत मेट्रो स्टेशन से जोड़े जाएंगे

मेट्रो के फेज-2 में टोडी मोड से सीतापुरा तक प्रस्तावित है रूट

जयपुर मेट्रो के विस्तारित रूट को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पर समन्वय समिति की बैठक हुई।

जयपुर (कासं)। राजधानी में टोडी मोड से सीतापुरा तक प्रस्तावित जयपुर मेट्रो के फेज-2 में एयरपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा, ताकि आमजन को बेहत्तर आवागमन और परिवहन की सुविधा मिल सके। बताया जा रहा है कि जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल-1, टर्मिनल-2 और टर्मिनल-3 को जयपुर मेट्रो के भूमिगत स्टेशनों से जोड़ा जाएगा।

इस संबंध में पिछले दिनों जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई विभागों की उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें जयपुर मेट्रो, डीजीसीए, सीआईएसएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी शामिल हुए। बैठक को सूरजमल, संयुक्त महानिदेशक (नागर विमानन महानिदेशालय) एवं महेश भुराडिया, निदेशक कंपनी मामलात, जयपुर मेट्रो ने सामूहिक रूप से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे तक प्रत्यक्ष मेट्रो कनेक्टिविटी से यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा शहर में सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

महेश भुराडिया ने कहा कि सीतापुरा से टोड़ी मोड तक, एयरपोर्ट होते हुए प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर जयपुर को विश्वस्तरीय शहरी परिवहन सुविधा प्रदान करेगा। अनिमेष भट्ट, चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, जयपुर एयरपोर्ट ने कहा कि मेट्रो अलाइनमेंट, यात्री आवागमन प्रबंधन तथा सुरक्षा मानकों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है, और सभी एजेंसियों ने मिलकर परियोजना को शीघ्र और प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

रास्ता पूछने के बहाने लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश

जयपुर । सांगानेर सदर थाना पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने पर जबरन कार में बैठकार लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसी के साथ एक विधि से संघर्षरत बालक को भी बापर्दा निरुद्ध किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दो संगे भाईयों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए खुद की गैंग बनाई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूट की राशि ,मोबाइल फोन तथा वारदात के काम में ली गई कार बरामद कर ली है।

उपायुक्त दक्षिण राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गत 23 दिसम्बर को परिवादी लक्ष्मण सिंह 40 पुत्र मोहन जिला सीकर हाल किराएदार शिकारपुरा रोड़ निवासी रात करीब 10-11 बजे शिकारपुरा स्थित अपने कारखाने से घर जा रहा था। इसी दौरान चार अज्ञात कार सवार बदमाशों ने उसे रास्ता पूछने के बहाने से रोका और जबरन कार में बिठा लिया। थोड़ी दूर जाते ही बदमाशों ने चाकू निकाल कर उसके गले पर लगाया और मोबाइल फोन छीन कर पासवर्ड पूछा और मोबाइल से 70 हजार रुपए ऑन लाइन ट्रांसफर कर लिए। कार सवार बदमाशों ने पीड़ित से मारपीट करते हुए उसे सिगरेट से दागा और उसकी पत्नी को कॉल कर और पैसे ऑन लाइन खाते में डालने की मांग की। जिसके बाद आरोपी चलती कार में पीड़ित के साथ मारपीट करते रहें। जिसके बाद आरोपी सुनसान जगह पर पीड़ित को छोड़कर फरार हो गए। परिवादी लक्ष्मण सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लूटए गए मोबाइल फोन की लोकेशन और खाते की डिटेल के आधार पर कार सवार बदमाशों की तलाश की।

जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर धारासिंह चौधरी (21) पुत्र नाथूल लाल मेंहन्दवास ,टोंक हाल सीतापुरा, सांगानेर निवासी, संदीप चौधरी (22) पुत्र राम प्रकाश सीतापुरा निवासी, अरविंद चौधरी उर्फ बिट्टू (19) नगर फोर्ट, जिला टोंक हाल सीतापुरा, योगेश चौधरी उर्फ शक्ति (20) पुत्र राजूलाल टोंक , हाल किराएदार कल्याण नगर, सांगानेर निवासी सहित एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी संदीप चौधरी और अरविंद चौधरी दोनो सगे भाई है और दोनों राहगीरों से लूटपाट करने के लिए अपनी गैंग बनाई थी।

ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ खुला

जयपुर। बेंगलुरु स्थित रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) शुक्रवार 26 दिसंबर से निवेश के लिए खुल गया है। यह आईपीओ मंगलवार 30 दिसंबर को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 24 दिसंबर को आयोजित की गई थी। यह इश्यू 100 प्रतिशत बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के तहत लाया गया है, जिसमें 10 रु. फेस वैल्यू वाले शेयरों का प्राइस बैंड 164 से 174 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशक न्यूनतम 800 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 800 के गुणक में आवेदन कर सकते है। यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें कुल 48.40 लाख इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर इश्यू का कुल आकार लगभग 84.22 करोड़ है। इसमें से 2.44 लाख शेयर मार्केट मेकर के लिए आरक्षित हैं। कंपनी के शेयरों को एनएसई इमर्ज एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। कंपनी के अनुसार, ''आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी की विकास योजनाओं को मजबूती देने और परिचालन क्षमता बढ़ाने में किया जाएगा।''

सार-समाचार

राजसखी मेले में लकी ड्रॉ का आकर्षण

जयपुर । स्कूलों में विंटर ब्रेक और नववर्ष के आगमन के साथ ही लोगों में छुट्टियों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। इसी उत्साह के बीच जयपुर में आयोजित सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 इन दिनों शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ मेले में पहुंचे और खरीदारी के साथ-साथ वहां आयोजित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। मेले में आगंतुकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दैनिक लकी खरीदार अवॉर्ड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रतिदिन लकी ड्रॉ के माध्यम से दो भाग्यशाली खरीदारों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें 20 हजार से 50 हजार तक के आकर्षक उपहार प्रदान किए जा रहे हैं। लकी ड्रॉ में वही खरीदार पात्र होते हैं, जो किसी एक स्टॉल से न्यूनतम 1000 रुपए की खरीदारी कर वैध बिल के साथ अपना कूपन शाम 5 बजे तक जमा करते है। ड्रॉ की प्रक्रिया प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे के बीच गणमान्य अतिथियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जा रही है। अब तक टीवी, फ्रिज, सैंडविच ग्रिल, बेडशीट, स्मार्ट फोन, साइकिल और एसी जैसे पुरस्कार विजेताओं को मिल चुके है।

जरूरतमंदों को 101 कंबल वितरित

जयपुर । राजधानी स्थित बी-2 बाईपास पर निराश्रित-बेसहारा, असहाय और सड़क किनारे जीवन बसर करने वाले लोगों को सर्दी के प्रकोप से बचाने के लिए निःशुल्क 101 कंबल वितरित किए गए। नगर निगम के निवर्तमान चेयरमैन एडवोकेट अभय पुरोहित ने बताया कि सामाजिक संस्था ''रोशनी जीवन'' की ओर से यह कार्य किया गया। संस्था सचिव अंजू शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जयपुर के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार का अभियान चलाया जाया है है। इस वर्ष भी करीब 500 कंबल बांटने का लक्ष्य रखा है। संस्था का उद्देश्य है की सर्दी के प्रकोप से किसी गरीब और जरूरतमंद की जान नहीं जाए। शुक्रवार को कंबल वितरण के दौरान निवर्तमान चेयरमैन अभय पुरोहित, एसएफएस रेजिडेंट डवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष किशन लाल छत्तानी, सचिव रतन लाल शर्मा, एसएफ़एस दिगम्बर जैन मंदिर के अध्यक्ष डॉ. राजेश जैन, राजकुमार गर्ग, भूपेंद्र भार्गव, प्रेमपाल शर्मा, वेदपाल सिंह गहलोत, संजीव शर्मा, राजेश मिश्रा, रविन्द्र चौधरी उपस्थित रहे।

कार्यग्रहण नहीं करने पर बीएलओ निलंबित

जयपुर । निर्वाचन संबंधी कार्य में लापरवाही बरतने एवं बीएलओ ड्यूटी ज्वॉइन नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के आदर्श नगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्यामा राठौड़ ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ तथा नगर निगम, जयपुर (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक कमल चन्द डाबोडिया को निलंबित किया है। राठौड़ ने बताया कि कमलचंद को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाकर कार्यग्रहण के आदेश दिए गए थे, परंतु दूरभाष पर कार्यालय की एसआईआर टीम एवं सहायक निर्वाचक अधिकारी-सुपरवाइजर द्वारा बार-बार चेताने के बावजूद भी उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। यहां तक कि नोटिस जारी करने पर भी कमलचंद ने ना तो कार्यग्रहण किया और न ही निर्वाचन कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की अथवा अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

सारस्वत क्रिकेट लीग का शुभारंभ

जयपुर । सारस्वत ब्राह्मण समाज जिला जयपुर, युवा मंडल और महिला मंडल की ओर से शुक्रवार को राजधानी के स्वेज फार्म स्थित हीरा वैली रिसोर्ट की स्पोर्ट्स एकेडमी में सारस्वत क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का रंगारंग और उत्साहपूर्ण आगाज हुआ। प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही खेल मैदान जोश, उमंग और प्रतिस्पर्धा के रंग में रंग गया, जहां जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों से समाज की टीमों के खिलाड़ियों ने अपने दमखम से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। प्रतियोगिता का उदघाटन संस्था अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष रजत सारस्वत और महिला मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने संयुक्त रूप से किया।

नवजीवन सोसायटी घोटाले में अभियोजन पक्ष के बयान शुरू

जयपुर (कासं)। राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों में हुए सैकड़ों करोड रुपए के नवजीवन क्रेडिट सोसायटी घोटाले मामले में ईडी मामलों की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष के बयान आरंभ हो गए हैं। प्रकरण में आगामी सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

ईडी के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रकरण में परिवादी व सहायक निदेशक ईडी मुकेश कुमार मीणा के बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने बयानों में नवजीवन क्रेडिट सोसायटी के गठन और घोटाले की जानकारी दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 270 करोड रुपए बैंकों से नकद निकाले गए थे। इस संबंध में दस्तावेजों को भी अदालत में पेश किया गया। इससे पहले सभी आरोपियों पर कोर्ट ने चार्ज तय किए थे। गौरतलब है कि एसओजी ने 2019 में इस घोटाले का खुलासा किया था। एसओजी की जांच में सामने आया था कि नवजीवन क्रेडिट सोसाइटी ने देशभर में करीब 228 शाखाएं खोल रखी थी। जिनमें से 206 शाखाएं राजस्थान में थी।

सोसाइटी में करीब 1.93 लाख लोगों ने निवेश कर रखा था। इस घोटाले का मास्टरमाइंड बाड़मेर निवासी गिरधर सिंह सोढा था। उसने परिवार के सदस्यों और जानकारों के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई थीं। आरोपियों ने मिलीभगत कर घोटाले की राशि को कोऑपरेटिव बैंक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अलावा अन्य जगहों पर निवेश किया। प्रकरण दर्ज होने के बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगने पर ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की। जांच में आया कि सोसायटी ने निवेशकों से पांच साल में उनकी जमा राशि को दुगना करने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की थी।

आमेर के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान बनाकर करें इंटीग्रेटेड डवलपमेंट : दिया कुमारी

उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

उपमुख्यमंत्री ने आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को आमेर के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान बनाकर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट करने के निर्देश दिए। इसमें सुरक्षा, पार्किंग, सफाई, दुकानों का व्यवस्थित विकास एवं अन्य सुविधाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने पुष्कर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को शीघ्र गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही दिल्ली में कल्चरल सेंटर स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

- **जयपुर में कॉन्सर्ट टूरिज्म के विकास, पुष्कर प्रोजेक्ट तथा झुंझुनूं में प्रस्तावित वॉर म्यूजियम पर भी चर्चा की**

उन्होंने राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग, भित्ति चित्रकारी एवं अन्य लोक कलाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा झुंझुनूं में प्रस्तावित वॉर म्यूजियम निर्माण कार्य की समीक्षा की। इसके अलावा जवाहर कला केंद्र से संबंधित विकास कार्यों एवं एएसआई के स्मारकों पर उचित लाइटिंग की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जयपुर में कॉन्सर्ट टूरिज्म के विकास हेतु जेडीए को भूमि आवंटन की प्रगति, श्री खाटूश्यामजी मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों, सीएसएस कार्यों की प्रगति तथा ट्राइबल सर्किट निर्माण से जुड़े प्रस्तावों की जानकारी दी गई। उपमुख्यमंत्री ने एकीकृत ग्रामीण पर्यटन विकास पर जोर देते हुए प्रारंभिक चरण में शेखावाटी एवं आभानेरी क्षेत्रों में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी एवं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामरतन शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एन.सी.आर. क्षेत्र में संचालित बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के बानसूर में संचालित बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से जवाब तलब किया है। जस्टिस संदीप तनेजा की एकलपीठ ने यह आदेश सरस्वती मॉडर्न विद्यालय समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अधिवक्ता अभिषेक देवंदा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता संस्था के अधीन चलने वाली दो स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए करीब छह साल पुरानी बीएस 4 बसें संचालित होती हैं। आरंभ में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से इन बसों का पन्द्रह साल के लिए पंजीकरण किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से इन बसों का परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया, लेकिन परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, 2021 की गाइड लाइन का मनमानी और गलत व्याख्या करते हुए परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया।

- **हाईकोर्ट ने प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से जवाब तलब किया**

विभाग की ओर से कहा गया कि एनजीटी के निर्णय के बाद आयोग की ओर से जारी निर्देश के तहत एनसीआर और दिल्ली में केवल सीएनजी, ईवी और बीएस 5 व 6 गुणवत्ता के वाहनों को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। विभाग की ओर से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देते हुए कहा गया कि आयोग के निर्देश अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली इंटरसिटी व इंटर स्टेट सार्वजनिक बस सेवाओं पर ही लागू हैं। याचिकाकर्ता की स्कूल बसें केवल बानसूर क्षेत्र के भीतर विद्यार्थियों के आवागमन के ही काम आती हैं और इनका दिल्ली या इंटरसिटी संचालन से कोई संबंध नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग के स्वयं के निर्देश संख्या 93 में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल बसें इस दायरे में नहीं आती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएस 4 मानकों को पूरा करने वाले दस साल तक के डीजल वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में विभाग को याचिकाकर्ता की बसों का परमिट नवीनीकरण के निर्देश दिए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।